




लखनऊ विकास प्राधिकरण

की

स्टाफ बैठक

दिनांक 25-3-81.....



लखनऊ विकास प्राधिकरण

६, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

ल ख न ऊ

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
25-3-1981 जो पूर्वाह्न 10-30 बजे आयुक्त,
लखानऊ मण्डल के कार्यालय कक्षा में होनी निश्चित
हुई है, का की कार्य- सूची ।

=x=x=x=x=x=x=x=

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1-	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 18-2-1981 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।	1
2-	लखानऊ विकास प्राधिकरण का बजट वर्ष 1981-82	8
3-	नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।	9
4-	"चेतना समिति की भूमि के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध" में ।	18
5-	कृषि उत्पादन मण्डी समिति में नवीन गैलरी मण्डी विस्तार एवं फल तथा सब्जी मण्डी के निर्णय हेतु अधिग्रहीत भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	19
6-	कानपुर रोड का सर्वे सेक्टर "डी" ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में धानत्व में छूट देने के विषय में ।	21
7-	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् कार्यालय भवन-104-महात्मा गांधी मार्ग का भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।	22
8-	शिवाजी मार्ग के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	25
9-	नर सहकारी गृह निर्माण समिति एवं अन्य समितियों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।	29
10-	रायबरेली रोड पर कामधोनु नगर बनाने हेतु भूमि का अर्जन ।	32
11-	लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखानऊ सीतापुर रोड एवं लखानऊ कानपुर रोड पर आवासीय योजना हेतु 75-00 लाख रुपये का ऋण शासन से पाने के लिये स्वीकृति के सम्बन्ध में ।	33
12-	लेखा विभाग के पदों के सम्बन्ध में शिश्युल आफ न्यु डिमान्ड	34
13-	सर्व श्री बाबू राम, बालकृष्ण चतुर्वेदी भूतपूर्व सचिव तथा उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण को कर्मचारी कोट से उच्च आय वर्गीय भवन के आवन्तन के सम्बन्ध में ।	36
14-	अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय	

=====:00000:====

विषय संख्या: ।

पृष्ठ संख्या: ।

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक 18-2-81
के कार्य-वृत्त का पुष्टिकरण ।

=x=x=x=x=x=

लखनऊ विकास प्राधिकरण की
बैठक दिनांक 18-2-1981 का कार्य-वृत्त
पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत है ।

:: 2 ::

विषय संख्या: 3

लखनऊ विकास प्राधिकरण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या ।

पारित प्रस्ताव:

प्राधिकरण के समक्ष उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण द्वारा किये जा रहे कार्यों की पूर्ण जानकारी प्रस्तुत की तथा सूचित किया कि प्राधिकरण इस वर्ष पुनः निर्धारित किये गये लक्ष्यों के आधार पर कार्य सन्तोषजनक ढंग से कर रहा है । और इस माह तक हुए व्यय के परि-
पेक्ष्य में स्थिति सन्तोषप्रद है । कई मदों में जैसे मलिन बस्ती निपातन योजना भूमि अर्जन एवं विकास आदि कार्य सम्मिलित हैं, पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक अच्छे एवं उत्साह के साथ कार्य किये गये हैं । जिन मदों में व्यय करने से प्राधिकरण को अधिक लाभ होगा उन मदों पर छार्जे की प्रस्तावना बढ़ा दी गई है तथा मशीनरी एवं स्टोर आदि पर व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा घटा दिया गया है । उपाध्यक्ष ने यह भी अवगत कराया कि अनावश्यक व्यय को रोकने एवं महत्वपूर्ण कार्यों में अधिक प्रगति लाने के उद्देश्य से दो अभियन्त्रण छाण्ड तोड़ दिये गये हैं और स्टाफ़ यथा-आवश्यक स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया है । इस वर्ष के लिये रक्खे गये पुनरीक्षित बजट में निर्दिष्ट लक्ष्य पर कार्य काफी प्रगति पर है । यद्यपि सभी आवास गृहों के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो सका है फिर भी सभी स्थानों पर कार्य द्रुत गति से चल रहा है और आशा है कि निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति का पूरा प्रयास किया जायेगा ।

विषय संख्या: 4

कृषि उत्पादन एवं मण्डी समिति में नवीन गल्ला मण्डी विस्तार एवं फल तथा सब्जी मण्डी के निर्माण हेतु ग्राम सभा अहिबरनपुर एवं पुरनिया में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा सीतापुर रोड पर स्थित गल्ला मण्डी के साथ लगे ग्राम अहिबरन-पुर तथा पुरनिया में फल एवं सब्जी मण्डी बनाने हेतु प्राप्त भूमि अध्याप्त के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया । चूंकि यह क्षेत्र महायोजना में आवासीय है, अतः उक्त क्षेत्र का भू-उपयोग बदलने का विषय उक्त संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया है । विचार विमर्श के दौरान अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अनुपस्थिति में इस विषय पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा । अतः यह विषय आगामी बैठक में रखाने के लिये स्थगित कर दिया गया है ।

:: 3 ::

विषय संख्या: 5

लखानऊ जनपद में गोमती नदी पर निर्मित बेराज के पहलू मार्ग संरक्षण हेतु नये प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु ।

पारित प्रस्ताव:

राम सागर मिश्र नगर कालोनी के विकसित हो जाने के पश्चात तथा गोमती पर बेराज के निर्माण हो जाने के फलस्वरूप अब एक नया मार्ग बनाने का प्रस्ताव है जिससे लखानऊ शहर में आने वाले ट्राफिक को निशातगंज के पूर्व विकसित क्षेत्र से पास करने की सुविधा प्राप्त हो सकेगी । इस नये मार्ग पर विकास करने का औचित्य काफी बढ़ गया है और इसी आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा यह मार्ग प्रस्तावित किया गया है । अतः इस महत्वपूर्ण मार्ग को निर्मित करने की अनुशंसा विकास प्राधिकरण द्वारा की गई तथा निर्णय लिया गया कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से परामर्श कर शासन से आग्रह किया जाये कि इसका भू-उपयोग परिवर्तन करके शीघ्र निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को निर्दिष्ट किया जाये ।

विषय संख्या: 6

कानपुर रोड का सर्वे ४ सेक्टर "डी" ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में दानत्व में छूट देने के सम्बन्ध में ।

विषय संख्या: 7

शिवाजी मार्ग के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

विषय संख्या: 8

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय भवन 104-महात्मा गांधी मार्ग का भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

उपरोक्त तीनों विषयों पर विचारोपरान्त अनुभाव किया गया कि ऐसे विषयों पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अनुपस्थिति में निर्णय लिया जाना उचित न होगा अतः यह निर्णय लिया गया कि ये विषय आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावें ।

विषय संख्या: 9

कर्मचारियों को भवन निर्माण/भूमि एवं भवन कृय करने के सम्बन्ध में अग्रिम दिये जाने के विषय में ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नगर महापालिका में प्रचलित नियमों से प्राधिकरण में भिन्न नियम बनाने के लिये यह आवश्यक है कि नगर महापालिका के लेखा नियमों को भी देखा लिया जाये तथा अन्य विकास प्राधिकरणों में क्या नीति इस विषय पर अपनाई गई है की भी सूचना एकत्र कर ली जाये । उसके बाद ही इस विषय पर निर्णय लिया जाये ।

कृपया:--4

:: 4 ::

विषय संख्या: 10

लेखानु विकास प्राधिकरण के लेखा विभाग में पदों के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

इस विषय पर सविस्तार वार्ता की गई तथा विभिन्न तथ्यों को जाँच करने के उपरान्त यह निश्चित हुआ कि लेखा विभाग द्वारा दी गई आख्या के आधार पर लेखाधिकारी के एक पद की आवश्यकता जो बताई गई है उसे इस वर्ष के बजट के साथ शिड्यूल आफ न्यु डिमान्ड्स के रूप में प्रस्तुत किया जाये और इसकी अभिमति बजट स्वीकृत के समय ली जाये । यह भी निर्णय लिया गया कि लेखाकार के एक पद के सृजन का जो प्रश्न है तथा उसे केन्द्रियत सेवा के एक पद को समाप्त करके प्राधिकरण का पद बनाने का प्रश्न है, के लिये शासन को अनुरोध भेजा जाये ।

विषय संख्या: 11

प्राधिकरण के सम्पत्ति निस्तारण एवं अक्षोषा वसूली के लिये प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति के अतिरिक्त पद का सृजन तथा उसपर श्री चन्द्र शोखार गुप्त, पी०सी०एस० के नियुक्ति का अनुमोदन ।

पारित प्रस्ताव:

सचिव विकास प्राधिकरण ने प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति से अवगत कराया और प्रभारी-अधिकारी {सम्पत्ति} के एक पद के सृजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा प्राधिकरण के अक्षोषा धान की वसूली के बारे में भी अवगत कराया । विस्तृत रूप से विचार विमर्श करने के बाद उक्त पद के सृजन की अनुमति प्रदान की गई तथा उक्त पद पर श्री चन्द्र शोखार गुप्त के प्रतिनियुक्ति की पुष्टि की गई ।

विषय संख्या: 12

छितवापुर काम्पलेक्स के निर्माण हेतु भारत ओवरसीज़ बैंक से 75-00 लाख रुपये का ऋण लिये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

उपाध्यक्ष ने प्राधिकरण को अवगत कराया कि उक्त शापिंग काम्पलेक्स के बारे में अन्य कार्यवाहियाँ प्रगति पर हैं । ऋण लेने के बारे में भी अन्य औपचारिकतायें लगभग पूर्ण कर ली गई हैं । इस सम्बन्ध में प्राधिकरण की अनुमति की आवश्यकता है । विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त ऋण भारत ओवरसीज़ बैंक से छितवापुर काम्पलेक्स के निर्माण हेतु प्राप्त कर लिया जाये तथा शोषा ऋण के बारे में उनसे वार्ता की जाये ।

क्रमशः---- 5

::5::

विषय संख्या: 13

लीज़रेन्ट के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

सचिव विकास प्राधिकरण ने अवगत कराया कि प्राधिकरण द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में लीज़रेन्ट की दरों में काफी भिन्नता है जिसके कारण वसूली में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और एक रूपता न होने के कारण काफी विषमता उत्पन्न हो रही है । अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की समस्त योजनाओं में लीज़रेन्ट की दर समान रखी जाये और तदनुसार ही लीज़रेन्ट निर्धारित किया जाये ताकि विषमता न हो । यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 22-7-80 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निर्णय को उचित मानकर उसी के लागू करने का निर्णय लिया गया ।

विषय संख्या: 14

मास्टर प्लान में संशोधित करने हेतु नियोजन विभाग में अतिरिक्त पदों का सृजन ।

पारित प्रस्ताव:

मास्टर प्लान को पुनः बनाने तथा जोनल प्लान बनाने की आवश्यकता पर वरिष्ठ नगर नियोजक ने विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा प्रस्तुत आख्या में अंकित पाँचों बिन्दुओं पर भी प्रकाश डाला । विस्तृत रूप से विचार विमर्श के उपरान्त इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

- 1- मास्टर प्लान में जो परिवर्तन पिछले वर्षों में शासन द्वारा किये गये हैं और जिन्हे किन्ही कारणों से जिन में प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील में दिये गये हैं उन्हें मानते हुए मास्टा प्लान की जो रूप रेखा आज उपलब्ध हो रही है जबतक रिवीज़न नहीं हो जाता है उसे मान्य रखा जाये ।
- 2- जो मापदण्ड मास्टर प्लान के वायुम -1 में सुझाये गये हैं उन्हें परिस्थित अनुसार शिथिल माना जाये लेकिन यह शिथिलता केवल एक स्तर तक सीमित होगी जिससे मास्टर प्लान पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।
- 3- लखानऊ के सर्वे के लिये क्लोषा मद् का गठन करने एवं शासन से धान उपलब्ध कराने तथा सर्वे को वैधानिक प्रपत्र बनाने तथा राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित कराने के लिये शासन को लिखा जाये ।

कुमरा:----6

:: 6 ::

- 4- सर्वे प्लान न होने के कारण जोनल प्लान अभी तक न बन सके हैं अतः जो डिटेल् प्लान विकास-प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद् द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिये बनाये गये हैं ओर उनमें जो सुविधायें प्रस्तावित की गई हैं उन्हें मान्य करते हुए जोनल प्लान के न होने की स्थिति में उन्हें उन क्षेत्रों के लिये जोनल-प्लान माना जाये चूकि यह क्षेत्र इन संस्थाओं द्वारा पूर्व में ही अध्यापित किये जा चुके हैं अतः इसपर जन्ता से आपत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता को शिथिल समझा जाये ।
- 5- मास्टर प्लान रिवाइज़ करने हेतु उपलब्ध साधन तथा समुचित स्टाफ़ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि पहले यह देखा लिया जाये कि प्राधिकरण के अन्य अनुभागों से कितना स्टाफ़ इस कार्य हेतु लगाया जा सकता है । उसके पश्चात् ही विस्तृत आख्या पुनः प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या: 15

अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अर्न्तगत आने वाली नूर सहकारी गृह निर्माण समिति एवं अन्य समितियों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श उपरान्त यह अनुभाव किया गया कि आयुक्त एवं सचिव आवास की अनुपस्थिति में इस विषय पर निर्णय लिया जाना उचित नहीं है अतः यह विषय प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

ह० शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी
§ शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी §
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
ल ख न ऊ

अ नु मो दि त
= = = = =

ह० प्रकाश चन्द्र सक्सेना
§ प्रकाश चन्द्र सक्सेना §
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष
लखनऊ विकास प्राधिकरण
ल ख न ऊ ।

विषय संख्या: 2

पृष्ठ संख्या: 8

विषय: लखानऊ विकास प्राधिकरण

का बजट

वर्ष

1981 -

1982

=x=x=

लखानऊ विकास प्राधिकरण का

बजट वर्ष 1981-82 विचारार्थ

अलग से सेंलग्न है ।

विषय: नरेन्द्र नगर हाउसिंग सोसाइटी को अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त सोसाइटी सन् 1960 में पंजीकृत हुई थी और लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलीगंज योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जन हेतु दिनांक 17-3-1962 में गजट में प्रकाशित हुआ था । नगर महापालिका अधिनियम की धारा 357 तथा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17 के अन्तर्गत 13-4-70 को विज्ञप्ति जारी की गई । समिति के द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार विज्ञप्ति की तिथि में सोसाइटी के पास कोई भूमि नहीं थी, परन्तु अलीगंज योजना की विज्ञप्ति तिथि दिनांक 17-3-62 के पश्चात् 1972 तक की अवधि में सोसाइटी के पास 16 बीघा 18 बिस्वा 5 बिस्वान्सी भूमि का स्वामित्व प्राप्त था । इस भूमि में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से 9 बीघा 3 बिस्वा 15 बिस्वान्सी भूमि हस्तान्तरित की गई है । यह भूमि अलीगंज योजना के सेक्टर "ए" तथा सेक्टर "बी" में स्थित है जिसका विवरण निम्नांकित है:-

सेक्टर "ए"	7 - 14 - 10 - 0	4.83 एकड़
सेक्टर "बी"	9 - 3 - 15 - 0	5.74 एकड़

इसका नक्शा तथा छापरा साथ में संलग्न है । यह भूमि अलीगंज योजना के वर्तमान शापिंग कम्प्लेक्स के सन्निकट स्थित है ।

सोसाइटी को भूमि देने के सम्बन्ध में नगर महापालिका का प्रस्ताव संख्या: 68 द्वारा दिनांक 22-1-70 को निर्णय लिया गया तथा सोसाइटी को उनकी भूमि का 25 प्रतिशत भूमि निम्नलिखित शर्तों पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की:-

- 1- भू-स्वामी अपनी कुल भूमि का स्वामित्व महापालिका को बिना कोई प्रतिकर लिये हस्तान्तरित कर देगा इस आशय का एक एग्रीमेन्ट स्वामी, मुख्य नगर अधिकारी से करेगा । वकील की फीस आदि चार्जेंज भू-स्वामी ही वहन करेगा ।
- 2- भू-स्वामी को योजना के स्वीकृत ले-आउट के अनुसार जो भी भूमि सड़क पार्क तथा गली आदि के अन्तर्गत आयेगी योजना के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में महापालिका को बिना प्रतिकर भूमि सौंपना पड़ेगा ।
- 3- भू-स्वामी को विकसित भूखण्डों के क्षेत्रफल पर वास्तविक अनुपातिक महापालिका द्वारा स्वीकृत विकास मूल्य देना होगा ।
- 4- यह भूमि पुराने स्थानों पर यथा सम्भाव उसके समीप केवल गृह निर्माण हेतु दी जायेगी ।

इसके अतिरिक्त भू-स्वामी को स्वीकृत योजना के ले-आउट के अनुसार ही विकास करना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में समुचित स्वीकृति विकास विभाग ही देगा ।

इसके बाद नगर महापालिका, लखनऊ ने उक्त प्रस्ताव को अपने प्रस्ताव संख्या: 88 दिनांक 8-2-74 द्वारा निरस्त कर दिया।

प्राधिकरण बनने के पश्चात निम्नांकित तिथियों में यह मामला प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रक्खा गया :-

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 1- | दिनांक 12-12-77 | प्रस्ताव की प्रति सैलग्न § सैलग्नक "क" § |
| 2- | दिनांक 8-10-80 | प्रस्ताव की प्रति सैलग्न § सैलग्नक "ख" § |
| 3- | दिनांक 26-11-80 | अलीगंज योजना के फेज़-2 में ज़मीन दिये जाने का निर्णय लिया गया जो निम्न प्रकार है :- § सैलग्नक "ग" § |

"" नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव सोसाइटी को नियमानुसार भूमि अलीगंज योजना के फेज़-2 में दे दी जाये। तथा यह भी निर्णय हुआ कि यह देखा लिया जाये कि उक्त सोसाइटी के निवन्धान के समय कितने सदस्य थे तथा क्या सोसाइटी आवास सैटा से पंजीकृत है कि नहीं ? ""

समिति के सदस्यों ने प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों से मिलकर एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि अलीगंज योजना के सेक्टर "ए" तथा "बी" में उनकी ज़मीन स्थित थी जो चाँदगंज गार्डन एवं कपुरथाला बाग़ के ही निकलस्थ है, परन्तु उनको फेज़-2 में जो भूमि दिये जाने का निर्णय लिया गया है वह कुर्सी रोड पर काफी दूरी पर है जो सोसाइटी के सदस्यों के लिये काफी असुविधाजनक होगी। उनका यह भी कथन है कि लगभग 20 वर्षों से भागीरथ प्रयत्न करने के बाद भी सोसाइटी को प्राधिकरण द्वारा भूमि नहीं दी गयी है। उनका कहना है कि सेक्टर "ए" तथा "बी" के सन्निकट ही प्राधिकरण के उपलब्ध एवं अनिस्तारित भूमि में से उन्हें ज़मीन दी जाये।

अलीगंज योजना के विभिन्न सेक्टरों में इधर उधर बिछारे हुए भूखण्डों के अतिरिक्त इस समय सेक्टर "एफ" जो अलीगंज योजना के सेक्टर "ए" तथा "बी" से लगा हुआ है प्राधिकरण की विकसित भूमि में निम्न प्रकार के भूखण्ड उपलब्ध हैं:-

क्रम सं०	माप	भूखण्डों की संख्या	कुल क्षेत्रफल
1	32' x 80'	40	1,02,400
2	25' x 50'	25	31,250
3	31' x 50'	41	73,800
4	एफ- 22	1	3,741
5	एच- 24	1	4,796

क्रम संख्या 4 एवं 5 पर अंकित भूखण्ड संख्या: एफ-22 तथा एच-24 दिनांक 26-12-80 को नीलाम किये गये थे परन्तु बोली की दर कम आने के कारण उन्हें स्वीकृत नहीं किया गया था जिन्हें अभी भी निस्तारित नहीं किया गया है।

सेक्टर "एफ" के क्रम संख्या- 1 से 3 तक के भूखण्ड जनता को लाटरी द्वारा आवंटित करने के लिये निर्णय लिया गया है।

नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में शासन स्तर पर भी कई बार चर्चाएँ हुई हैं और उक्त सोसाइटी को उनकी भूमि के करीब भूमि दिये जाने के बारे में सहानुभूति पूर्वक विचार करने को कहा गया है।

अतः उपरोक्त सोसाइटी के सम्बन्ध में नगर महापालिका, लखानऊ और लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अतः तक लिये गये निर्णय के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देते हुए यह विषय विकास प्राधिकरण के समक्ष पुनः भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। सोसाइटी को ज़मीन आवंटन के निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्णय लेना होगा :-

- 1- क्या समस्त 61 सदस्यों को भूखण्ड दिया जाये तो कितने क्षेत्रफल के भूखण्ड दिये जायें ?
- 2- प्रतिकर के भुगतान एवं वर्तमान दर पर देने के बारे में।

= = = = :::::0000::::: = = = =

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 12-12-77
जो आयुक्त लखनऊ मण्डल-लखनऊ के कार्यालय में हुई
के विषय संख्या- 2 पर लिये गये निर्णय का उद्धरण ।

=x=x=x=x=x=x=x=

विषय: अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में गृह निर्माण
समितियों की भूमि को अर्जन से मुक्त करने तथा
कैल्पिक भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में ।

2.1: सर्व प्रथम अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि इस सम्बन्ध
में जितनी भी सोसाइटीज हैं उनपर अलग-अलग विचार-क्रिमर्शा
किया जाना उचित होगा ।

2.2: विचार क्रिमर्शा के पश्चात सर्व प्रथम अलकापुरी गृह निर्माण
समिति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

" प्राधिकरण ने अलकापुरी गृह निर्माण समिति के मामले
में विस्तार से केस को देखा लिया और प्राधिकरण का मत
है चूकिं सोसाइटी ने अधिग्रहण वर्ष 1962 के बाद भूमि
क्रय की है अतः-

क- इस समिति के लिये अलग से व्यवहार करना औचित्यपूर्ण
प्रतीत नहीं होता ।

ख- इस समिति के साथ शासन तथा महापालिका ने समय-
समय पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है और वर्ष 1974
में यह दृष्टिकोण रखा कि इस समिति की प्रार्थना में बल
नहीं है, अस्तु समिति के लिये उदारतापूर्वक नीति अपनाना
उचित नहीं लगता ।

ग- यह सब होते हुए यह आवश्यक है कि यह मामला जो इस
प्रकार से जटिल हो गया है उस पर यदि शासन आवश्यक
समझें तो विधिक राय ले ले और तदुपरान्त शासन जैसा
उपयुक्त समझे, उचित निर्णय लेकर प्राधिकरण को तदनुसार
निर्देशित करें ।

2.3: नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी के केस पर
विचार किया गया और पाया गया कि सोसाइटी का
रजिस्ट्रेशन 1960 में हुआ किन्तु सोसाइटी ने भूमि योजना
के अध्यापन के पश्चात क्रय किया है और भूमि-क्रय 1962
से 1972 तक जारी रखा । प्राधिकरण ने पूर्णरूप से
विचार करने के पश्चात उचित समझा कि इस सोसाइटी
को भूमि आवन्तित करने में विशेषा व्यवहार करना
औचित्यपूर्ण नहीं रहेगा ।

2.4 श्रीपुर सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले को ठीक
से समझा गया और पाया गया कि इस सोसाइटी का
रजिस्ट्रेशन 1967 में हुआ, और भूमि भी प्रथम बार
1969 में क्रय की गई । अतएव जो सिधदान्त प्राधिकरण
ने नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी के साथ
अपनाया है उसी के अनुसार इस सोसाइटी के साथ में भी
विशेषा व्यवहार करना उचित न होगा ।

2.5 लखनऊ विश्वविद्यालय सहकारी गृह निर्माण समिति के
मामले पर भी विचार किया गया और पाया गया कि
इस सोसाइटी ने भी भूमि 1973 में क्रय किया है, जबकि
योजना विज्ञापित हुए ग्यारह वर्ष व्यतीत हो चुके थो ।
अतः इस सोसाइटी के साथ विशेषा व्यवहार अपनाना
औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता ।

- 2.6 पृथ्वीणा भवन_निर्माण कोआपरेटिव सोसाइटी के मामले पर विचार किया गया और पाया गया कि इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन योजना के प्रकाशन के पश्चात हुआ है और भूमि का क्रय भी अध्यापन के बाद 1972 में किया गया है । अतः इस सम्बन्ध में भी विशेष व्यवहार करने को कोई औचित्य नहीं है ।
- 2.7 लखानऊ जन-कल्याण सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले पर भी विचार किया गया और पाया गया कि सोसाइटी के पक्ष में कोई भूमि रजिस्टर्ड नहीं है । अतः इस सोसाइटी के पक्ष में भी विशेष व्यवहार करना ठीक न होगा ।
- 2.8 बन्दा सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले में भी विचार किया गया और पाया गया कि उक्त समिति द्वारा योजना के अध्यापन के बहुत बाद भूमि क्रय की गई है । अतएव इसके भी पक्ष में विशेष व्यवहार करना औचित्यपूर्ण नहीं है ।
- 2.9 शाहीद वन्दु शोहार आज़ाद सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले पर भी विचार किया गया और पाया गया कि समिति के पक्ष में अभी तक कोई भूमि रजिस्टर्ड नहीं है अतः भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में विचार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।
- 2.10 पुरनिया सहकारी गृह निर्माण समिति के मामले पर भी विचार किया गया और पाया गया कि भूमि सोसाइटी के पक्ष में रजिस्टर्ड नहीं है । अतः इसके सम्बन्ध में विचार करने को कोई औचित्य नहीं है ।
- 2.11 आज़ाद सहकारी गृह निर्माण समिति एवं नन्द विलियम गृह निर्माण सहकारी समिति का मामला प्राधिकरण ने अच्छी तरह देखा लिया और पाया गया कि उपरोक्त समितियों के पक्ष में भूमि रजिस्टर्ड नहीं है । अतएव कोई भी सोसाइटी छूट पाने का हकदार नहीं है ।

= = = = : : : 0000 : : : = = = =

अनुक्रमक: "छा"

पृष्ठ संख्या: 15

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
8-10-80 जो आयुक्त, लखनऊ मण्डल के कार्यालय
कक्षा में पूर्वान्ह 10-30 बजे हुई के विषय
संख्या: 5 पर लिये गये निर्णय का उद्घरण ।

=x=x=x=x=x=x=x=

विषय: अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत
नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी
की तथा कथित भूमि के सम्बन्ध में ।

- - - - -

पारित प्रस्ताव:

=====

इस सोसाइटी के बारे में विशद रूप से बातें
हुई । नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
के प्रतिनिधियों को भी सुना गया तथा निर्णय
लिया गया कि अलकापुरी गृह निर्माण सोसाइटी
के बारे में लिये गये निर्णय एवं शासनादेश
के अनुसार पूर्ण जानकारी देते हुए स्पष्ट
टिप्पणी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

=====:00000:====

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
26-11-1980, जो आयुक्त, लखनऊ मण्डल के
कार्यालय में पूर्वाह्न 11-00 बजे हुई, का विषय
संख्या: 2 पर लिये गये निर्णय का उद्धरण।

= x = x = x = x = x = x =

विषय: अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत
नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की
तथाकथित भूमि के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

श्री ओ०पी०किशनोई, मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जलनिगम ने कहा कि इस प्रकार अगर समस्त हाउसिंग सोसाइटीज भूमि माँगना शुरू कर देंगी तो स्कीम का क्या होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि अलकापुरी गृह निर्माण समिति को भूमि किन परिस्थितियों में दी गई है। सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बताया कि उक्त सोसाइटी को भूमि शासन के आदेशानुसार दी गयी है। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि श्री टन्डन को भी शासन के आदेशानुसार ही भूमि दी गई है। उपाध्यक्ष ने कहा कि कपुरथाला बाग की विकसित भूमि बहुत ही कीमती है क्योंकि इस भूमि के बारे में बहुत ही झगड़ा रहा है तथा नगर एवं बाहर के बहुत लोग आशायें लगाये बैठे हैं और इस सोसाइटी के लोग यही भूमि लेने का आग्रह कर रहे हैं जो उचित नहीं है। मुख्य नगर नियोजक तथा मुख्य अभियन्ता, जलनिगम ने कहा कि वहाँ भूमि देना सम्भव नहीं है। यदि इन्हे भूमि देनी ही है तो अलीगंज फेज-2 में इन्हे भूमि दी जाये। जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि किसी भी स्कीम की केवल 25 प्रतिशत भूमि ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को दी जाये जिसमें जो भी ऐडजस्ट किया जाये शेष भूमि में से कोई भी भूमि छोड़ने का प्रश्न न उठाया जाये क्योंकि हम जो भी स्कीम बनाते हैं वह लोगों को मालूम तो हो ही जाती है और आगे फेज में लोग इस तरह ज़मीन ख़ारीद कर सोसाइटी बना लेंगे और भूमि की माँग करेंगे। उपाध्यक्ष ने बताया कि अगर हम योजना की 25% भूमि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को देंगे तो प्राधिकरण को इससे हानि होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि प्राधिकरण को हानि का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि उनको जो भूमि हम देंगे उसको योजना की कास्ट पर देंगे और उनका जो मुआवज़ा होगा वे ले लेंगे। हमसे उनसे केवल इतना मतलब होगा कि चूँकि उनकी ज़मीन योजना में है इसलिये उनको रहने के लिये ज़मीन मिल जाये। सोसाइटी द्वारा ख़ारीदी गई भूमि के बारे में सचिव, विकास प्राधिकरण ने बताया कि इस आधार पर नरेन्द्र नगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कोई भूमि नहीं थी और जिन लोगों के पास कोई भूमि थी उनको मिलाकर सोसाइटी बनाई गई है। जिलाधिकारी, मुख्य अभियन्ता, जलनिगम तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने एक मत में कहा कि उपरोक्त सोसाइटी को व्यक्तिगत तौर पर ही भूमि आर्जिन्ट की जानी चाहिये और जब समिति के नाम कोई भूमि नहीं है तो किस आधार पर भूमि दी जा रही है। इस प्रकार उदाहरण बनते ता रहे हैं जिससे भाविष्य के लिये समस्याएँ जटिल होती जा रही हैं।

क्रमशः-----

अतः निर्णय लिया गया कि नरेन्द्र नगर को आपरेटिव सोसाइटी को नियमानुसार भूमि अलीगंज योजना के फेज़-2 में दे दी जाये। तथा यह भी निर्णय हुआ कि यह देखा लिया जाये कि उक्त सोसाइटी में सोसाइटी के निबन्धान के समय कितने सदस्य थे तथा क्या सोसाइटी आवास सेंटा से पंजीकृत है कि नहीं है ?

=====

विषय: "वेतना संस्था" को अलीगंज योजना में आवंटित भूमि की दरों में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

उक्त संस्था को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपनी बैठक दिनांक 22-7-80 द्वारा सेक्टर "सी" में 59,522 वर्गफिट भूमि आवंटित की है । सोसाइटी को 25-7-75 की बैठक में प्राधिकरण द्वारा लिये गये नियमानुसार वर्तमान दर से 50% मूल्य दर से लिया जाना है । 50% की दर से रु0 2,76,916-83 भूमि की कीमत जमा करने के लिये उन्हें पत्र दिनांक 6-11-80 द्वारा सूचित किया गया । इस पत्र की प्राप्ति के बाद उन्होंने शासन, अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण आदि से सम्पर्क स्थापित करना शुरू किया । उन्होंने अवगत कराया कि संस्था विशेष महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है । उनका कथान है कि विकलांगों के लिये पूरे प्रदेश में यह एक ही संस्था कार्य कर रही है । अतः अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी भूमि दिये जाने में विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिये ।

विशेष सचिव आवास एवं सचिव, आवास से भी बात हुई । उन्होंने भी इस संस्था की मदद हेतु शासन के मत से अवगत कराया ।

अन्य विकास प्राधिकरणों में इस सन्दर्भ में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पता लगाया गया परन्तु कहीं से कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकी । कहीं पर भी इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

सामाजिक कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली विकलांगों की सहायता का भी अध्ययन किया, ऐसी संस्थाओं को 90% तक भावन बनाने हेतु एवं 2-50 लाख तक सहायता दी जा सकती है ।

यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष मनाया जा रहा है अतः ऐसी संस्थाओं की मदद की जाये तो अच्छा है ।

भूमि के रेट में और कमी करने के लिये सहानुभूतिपूर्ण विचार हेतु यह टिप्पणी प्राधिकरण के विचारार्थ एवं नियम हेतु प्रस्तुत है ।

= = = = = :::: 0000 :::: = = = =

विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या,
=====

विषय:- कृषि उत्पादन एवं मंडी समिति में नवीन गला मंडी विस्तार एवं फल तथा सब्जी मंडी के निर्माण हेतु ग्राम सभा अहिलवरनपुर एवं पुरनिया में अधिशुद्धि की जाने वाली भूमि का मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ के वर्तमान कृषि उत्पादन तथा मंडी समिति के विस्तार के लिये कृषि उत्पादन मंडी समिति ने ग्राम सभा अहिलवरनपुर तथा ग्राम सभा पुरनिया में क्रमशः 29.71 एकड़ तथा 2.65 एकड़ भूमि फल सब्जी मंडी के निर्माण हेतु अधिशुद्धि करने का प्रस्ताव रखा है यह भूमि पूर्व में विकसित गला मंडी जो शासनादेश एम्बेडमेन्ट नं० 842/37-3-37 एन.के.डी./72, दिनांक. 21.5.77 के किये गये भू-उपयोग परिवर्तन के साथ लगे क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र का भू-उपयोग आवासीय है। अतः सब्जी मंडी बनाने हेतु आवासीय से व्यापारिक बनाने का अनुरोध किया गया है यह विषय प्राधिकरण के समक्ष अवलोकनार्थ एवं भू-उपयोग परिवर्तन के निर्णय हेतु प्रस्तुत है । सभाप्रति कृषि उत्पादन मंडी समिति के पत्र की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है ।

=====

प्रेषक,

पृष्ठ संख्या: 20

सभापति,

कृषि उत्पादन मंडी समित,

लखनऊ ।

सेवा में,

सचिव,

लखनऊ विकास प्राधिकरण,

लखनऊ ।

पत्रांक/क०उ०म०स०/79-80 - 71

लखनऊ दिनांक, 16, जुलाई 1980

विषय:— नवीन गला मंडी विस्तार एवं फल तथा शब्जी के निर्माण हेतु ग्राम सभा अहिवरनपुर तथा पुरनिया में अधिग्रहीत होने वाली भूमि के भूमि प्रयोग मास्टर प्लान में बदलने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप को अवगत करना है कि ग्राम सभा अहिवरनपुर का 29.71 एकड़ तथा ग्राम सभा पुरनिया का 2.65 एकड़ भूमि को नवीन मंडी के विस्तार तथा फल शब्जी मंडी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत का प्रस्ताव जिला अधिकारी लखनऊ को प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रतियां संलक्ष हैं। इस प्रस्तावित भूमि के वयन का अनुमोदन एवं प्रशासनिक स्वीकृति मंडी निदेशक महोदय से भी प्राप्त है, जिसकी भी प्रतिलिपि साथ में संलक्ष है।

अस्तु आप से अनुरोध है कि उक्त प्रस्तावित भूमि के भू-प्रयोग लखनऊ नगर के मास्टर प्लान में बदलने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने का कष्ट करें।

भवदीय,

ह०/-

(डी०एन० दुबे)
अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट
सभापति, कृषि उत्पादन
मंडी समिति, लखनऊ।

पृष्ठांकित/क०उ०म०स०/79-80

तददिनांक,

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

1. जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखनऊ ।
2. मंडी निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद, उ० प्र० अध्याप्ति अनुभाग, लखनऊ ।

(डी०एन० दुबे)

अतिरिक्त सिटी मजिस्ट्रेट/
सभापति
कृषि उत्पादन मंडी समिति
लखनऊ ।

विषय: कानपुर रोड योजना के सेक्टर "डी" के लिये महायोजना में प्रस्तावित धानत्व में छूट के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=

लखानऊ कानपुर रोड योजना के आवासीय भाग के लिये प्लान प्रस्तावित करते समय यह प्रयत्न किया गया था कि महायोजना में निर्धारित धानत्व एवं सुविधाओं को ही उक्त योजना के प्लानों में कार्यान्वित किया जाये परन्तु वर्ष 1980-81 के लिये निर्धारित कार्यक्रमों एवं उसमें निर्धारित आवास इकाई के कार्यक्रमों के अनुसार विकास करने पर तथा आई०एस०आई० के मापदण्ड को आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के लिये निश्चित की गई है उपयोग करने से धानत्व महायोजना के प्रस्तावित धानत्व से बढ़ जाता है और इस प्रकार इस क्षेत्र के लिये महायोजना में प्रस्तावित धानत्व 247 व्यक्ति प्रति हेक्टर के स्थान पर 320 व्यक्ति प्रति हेक्टर हो जाता है । प्रस्तावित परिस्थितियों में एवं उपलब्ध नियमों के अनुपालन के साथ धानत्व बढ़ाया गया है अतः इसकी छूट शासन से प्राप्त करना आवश्यक होगा । अतः इसकी संस्तुति आपेक्षित है । जहाँ तक रास्तों का प्रश्न है इनका विकास आई०एस०आई० में दुर्बल आय वर्गों के लिये प्रस्तावित स्टैन्डर्ड के अनुसार किया गया है अतः इसमें भी छूट आपेक्षित है ।

====:::xx0000xxx:::====

विषय: उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
कार्यालय भवन 104-महात्मागाँधी मार्ग
का भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने अपने
वर्तमान कार्यालय भवन, 104- महात्मागाँधी मार्ग का उपयोग
परिवर्तन करने हेतु एक पत्र शासन को प्रेषित किया है । और
प्राधिकरण से आग्रह किया गया है कि इसका उपयोग परिवर्तन
सम्बन्धी कार्यवाही कर इसे स्वीकृत प्रदान की जाये । अतः उक्त
पत्र की प्रतिलिपि प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत
है ।

=x=x=x=x=x=x=x=x=

कमल पान्डे
आवास आयुक्त

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास
परिषद
104-महात्मागाँधी मार्ग, लखनऊ
दिनांक-----197

प्रिय,

परिषद का मुख्यालय कार्यालय भवन स्थल 104, महात्मागाँधी मार्ग, लखनऊ में स्थित है तथा इसका क्षेत्रफल 7664.5 वर्ग मी० है। लखनऊ महायोजना के अनुसार इस क्षेत्र का भू-प्रयोग आवासीय है किन्तु इस स्थल पर परिषद कार्यालय लगभग 12 वर्षों से स्थापित है तथा सुचारु रूप से चल रहा है। यह स्थल तथा इस पर स्थित कार्यालय भवन परिषद की निजी सम्पत्ति है जिसमें समय-समय पर परिषद के विस्तार के साथ-साथ कार्यालय भवन का विस्तार भी होता रहा है। इस स्थल का प्रयोग आवास हेतु सम्भव नहीं है।

मुख्यालय भवन स्थल के उत्तर की तरफ म्युनिस्पल नर्सरी स्कूल स्थित है तथा पीछे की ओर 12 की गली तथा दक्षिण की ओर भूखण्ड सं०-3 स्थित है। यह स्थल शहर के केन्द्र स्थान के निकट होने से परिषद कार्यालय कार्य हेतु सब प्रकार से अत्यधिक उपयोगी है। परिषद के विस्तार को देखाते हुए इस स्थल पर एक बहुखण्डीय कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव परिषद के सम्मुख रखा गया जो परिषद द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इस कार्यालय स्थल के 7664.5 वर्ग मी० क्षेत्र जिसका लखनऊ महायोजना में प्रस्तावित भू-प्रयोग आवासीय है को कार्यालय भू-प्रयोग में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्तावित मानचित्र एवं विवरण सहित, हिन्दी तथा अंग्रेजी में दो-दो प्रतियों में आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया भू-प्रयोग परिवर्तित किये जाने के बारे में शीघ्र आदेश पारित करने का कष्ट करें जिससे परिषद इस भूमि का पूर्ण उपयोग शीघ्र-तिश्रिघ्र कर सके।

संलग्नक: उपरोक्त

भावनिष्ठ,

॥ कमल पान्डे ॥

श्रीमती नीना रंजन,
संयुक्त सचिव, आवास अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

अ०शा०प०स०:8364/एम वी-31/80

दिनांक 26 दिस०, 1980

प्रिय श्री बनर्जी,

मेरे उपरोक्त अधिशासकीय पत्र की प्रतिलिपि इस अनुरोध सहित प्रेषित है कि कृपया भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अपनी संस्तुति से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्त

भावनिष्ठ

॥ कमल पान्डे ॥

श्री सुजित बनर्जी,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

प्रतिलिपि

एम/आर x x x

उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद के मुख्यालय कार्यालय भवन स्थल
104, महात्मागांधी मार्ग, लखनऊ, महायोजना में प्रस्तावित आवासीय
भू-प्रयोग को कार्यालय भू-प्रयोग में परिवर्तित करने हेतु प्रस्ताव का
वि व र ण

क्रमांक	स्थान	जिले का नाम	भूखण्ड संख्या	भूमि का ल०*च०	क्षेत्रफल वर्ग०मी० हेक्टेयर	वर्तमान भू-प्रयोग	प्रस्तावित भू-प्रयोग	टिप्पणी
1	लखनऊ	लखनऊ	2	1005E4 * 76200	7664.5 8.766	आवासीय	कार्यालय	खान्ता 124 जन हेक्टेयर

विषय: शिवाजी मार्ग के भू-उपयोग
परिवर्तन के सम्बन्ध में ।
x=x=x=x=x=x

विशेष सविव आवास अनुभाग के अर्द्ध शासकीय पत्रांक
3769/37-3-167 एन0के0वी0/78, आवास अनुभाग-3, लखानऊ, दिनांक
31 अक्टूबर 1980 द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि उपरोक्त विषय
विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ रक्खा जाये तथा निर्णय से
शासन को अवगत कराया जाये ।

दिनांक 31-5-80 को लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक
में विषय संख्या-3 के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या 51/2 शिवाजी मार्ग, लखानऊ
का भावन चित्र जो व्यावसायिक प्रयोग के लिये प्रस्तुत किया गया था, उस
पर यह निर्णय लिया गया था कि इसको अस्वीकृत कर दिया जाये ।
दिनांक 31-5-78 की बैठक में लिये गये निर्णय की सूचना शासन को इस
कार्यालय के पत्र संख्या- 198/एच0ओ0पी0/भावन/जी0जी0, दिनांक 27-4-79
द्वारा शासन को भेजी गई थी । शासन के अ0शा0प0स0 2895/37-
3/67 एन0के0वी0/78 आवास अनुभाग-3 दिनांक अक्टूबर 18, 1979 द्वारा
यह निर्देश दिया है कि भू उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने
का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है । नियमानुसार महायोजना में
निर्धारित भू-उपयोग के बदलने सम्बन्धी सभी औपचारिकताओं की
पूर्ति में समय लगने की सम्भावना है । अतः शिवाजी मार्ग के दोनों
ओर के भावन चित्र प्रस्तावित संशोधन को दृष्टिगत रक्खते हुए निस्ता-
रित किये जायें ।

विभाग के पत्र संख्या 1261/एच0ओ0पी0/भावन/जी0जी0
दिनांक 15-9-80 द्वारा शासन को भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित
मामले हेतु इस क्षेत्र का सर्वे प्लान भेजा गया था, जिसपर शासन ने
इस मामले को विकास प्राधिकरण की बैठक में रखाने का निर्देश दिया
है । अतः शिवाजी मार्ग के दोनों तरफ के भाग को 100 फुट के अन्दर
आता है और जिन के खासरा नम्बरान निम्न हैं उनके भू-उपयोग को
परिवर्तित करने पर विचार करने हेतु प्रस्तुत है ।

====:::xx0000xx:::====

MOHALLA AHATA RASCOL KHAN
 * * * * *

No.	Khasra	A B	R B	E A	K
60	P	0	1	0	0
63		0	0	8	7
64		0	0	14	0
65		0	0	2	0
66	P	0	0	12	0
69	P	0	1	7	1
70		0	0	0	15
71		0	0	0	15
72		0	1	1	12
73	P	0	0	11	10
74		0	0	0	4
75		0	0	7	4
76		0	0	18	1
77	P	0	0	5	10
78	PP	0	0	0	19
80	P	0	0	7	0
82		0	0	7	18
83		0	0	3	17
92		0	1	8	2
93		0	1	16	19
176		0	1	3	15
177		0	0	19	0
178	P	0	0	19	0
179	P	0	0	4	0
183		0	0	00	14
186		0	0	10	18
187		0	0	2	5
188	P	0	0	6	6
194	P	0	1	16	0
250	P	0	0	12	3
251	P	0	1	4	0
252		0	0	2	0
255	P	0	5	6	0
256	P	0	1	4	4
258	P	0	2	7	0

TOTAL 1 2 17 19

MOHALLA SAFDAR GANJ

1		0	0	0	10
2		0	0	0	14
3		0	0	2	14
4		0	0	1	18
5	P	0	1	5	0
6	P	0	1	5	0
93	P	1	3	0	0
94	P	0	10	0	0

TOTAL 1 15 15 16

contd...

MOHALLA TALAB GANGNI SHUKAL

No.	Khasra	A r e a			
		B	B	B	K
89	P	0	9	13	9
131	P	0	9	10	3
148	P	1	15	0	11
153	P	0	0	15	0
159	P	0	0	3	1
160	P	0	1	1	0
161		0	0	4	0
162	P	0	4	6	8
163		0	0	7	17
164		0	0	4	12
184	P	0	3	6	0
194	P	0	0	16	0
195	P	0	5	6	0
196		0	1	0	16
197	P	0	0	6	0
202	P	0	0	6	19
203	P	0	0	17	0
TOTAL		3	13	4	16

MOHALLA BARONI KHANDAQ

113	P	0	0	11	10
115	P	0	0	12	0
116	P	0	0	2	0
126	P	0	0	1	0
128	P	0	0	3	0
152	P	0	7	11	6
164		0	0	0	14
165		0	0	9	18
166	P	0	0	6	0
167		0	1	10	0
168	P	0	2	9	0
169	P	0	0	3	0
172	P	0	0	2	0
181	P	0	0	10	0
183	P	0	0	5	0
184		0	0	8	10
185	P	0	0	8	0
187	P	0	0	10	0
188		0	1	18	3
189	P	0	2	8	0
193	P	0	0	0	12
194		0	1	0	0
195		0	0	2	0
196		0	0	12	7
197	P	0	0	8	0
198		0	7	2	5
199		0	1	1	3
200		0	0	10	9
204	P	0	4	9	0
205	P	0	19	9	0
206	P	0	0	10	0
207		0	0	8	5
208		0	1	14	16
223	P	0	0	5	0
224	P	0	0	2	15
TOTAL		2	18	4	13

MOHALLA BARONI KHANDAQ (Some part)

No.	Khasra	B	A	R	B	E	A	B	K
225	P	0			0		1		5
226		0			0		7		15
227		0			0		13		0
228		0			0		6		12
229	P	0			1		0		0
237		0			0		1		11
238		0			0		6		8
239		0			1		1		5
272	P	0			0		9		0
273		0			0		1		10
274		0			0		11		9
275		0			0		13		4
276		0			0		14		17
277		0			0		6		4
278		0			0		11		16
279	P	0			0		6		0
285	P	0			0		19		0
286		0			0		12		0
287		0			0		5		8
288		0			0		4		18
289		0			1		3		0
290		0			1		2		10
291		0			0		0		11
292		0			0		17		12
295		0			0		11		18
296		0			1		17		1
297		0			0		9		12
298		0			0		11		7
301		0			1		2		3
312		0			0		11		18
313	P	0			2		0		0
337	P	0			6		10		9
348	P	0			0		16		7
349	P	0			0		8		4
354	P	0			0		9		0
355		0			0		1		7
356		0			0		1		0
Total		1			8		7		1
357		0			0		2		0
358	P	0			0		14		0
361		0			0		9		12
362		0			0		4		0
364		0			0		1		4
365		0			0		4		0
366	P	0			0		6		0
374	P	1			5		12		6
Total		1			7		14		10
Grand Total		2			18		4		13
		1			8		7		1
		1			7		14		10
Grand Total		5			4		6		4

विषय: अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अर्न्तगत आने वाली नूर सहकारी एवं अन्य समितियों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

1- अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना नगर महापालिका अधिनियम के अर्न्तगत निर्मित की गयी थी और सर्व प्रथम इस अधिनियम की धारा 357 के अर्न्तगत दिनांक 17-3-62 को इस योजना के अर्जन हेतु विज्ञापित जारी की गयी थी । तत्पश्चात नगर महापालिका अधिनियम की धारा 363 1/2 दिनांक 26-4-69 व भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17 दिनांक 13-4-70 को जारी होकर अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ।

2- उक्त योजना के अर्न्तगत नूर सहकारी गृह निर्माण समिति ने दिनांक 19-7-78 को ग्राम तातारपुर स्थित भूमि खासरा संख्या-4 क्षेत्रफल बी- 1-10-0-0 को क्रय किया था ।

3- समिति की उक्त तथा-कथित भूमि का कब्जा भी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा विकास प्राधिकरण को दिनांक 17-11-78 को प्राप्त हो चुका है तथा समिति की उक्त तथा कथित भूमि का अभिनिर्णय भी दिनांक 31-12-79 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित किया जा चुका है । इस प्रकार प्रश्नगत भूमि की समस्त अर्जन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ।

4- उक्त नूर सहकारी समिति के अतिरिक्त निम्न लिखित ओर भी सहकारी समितियाँ हैं जिन्होंने भूमि छोड़ने एवं आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये हैं :-

- 1- नरेन्द्र नगर सहकारी समिति ।
- 2- श्रीपुर सहकारी समिति
- 3- फ़िरोजगंजी सहकारी समिति ।
- 4- प्रवीन कोआपरेटिव सोसाइटी ।
- 5- लखनऊ जनकल्याण जन समिति ।
- 6- बन्दा सहकारी गृह निर्माण समिति ।
- 7- पुरनिया गृह निर्माण समिति ।
- 8- आजाद गृह निर्माण सहकारी समिति ।
- 9- नन्द विनियम गृह निर्माण सहकारी समिति ।
- 10- गाडबिल सहकारी समिति ।
- 11- महादुर्गा सहकारी समिति ।

5- शासनादेश संख्या: 110/37-2-42अ0शा10/7 दिनांक 6 मई 1976 प्रति लिपि सैलर के आधार पर विकसित प्लॉटों में से 25% प्लॉट उन सहकारी आवास समितियों को आवंटित किये जा सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करने को तैयार हों :-

- अ) सहकारी आवास समितियाँ जो उत्तर प्रदेश सहकारी आवास सेंटा से सम्बन्ध हों ।
- ब) सहकारी समितियाँ जो आवास सेंटा के मकानों के निर्माणार्थ ऋण लेने को तैयार हों ।
- स) सहकारी आवास समितियाँ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद या सम्बन्धित विकास प्राधिकरण जिससे भी उनको भूमि आवंटित की गयी हो के पास आवास सेंटा से प्राप्त ऋण की धारणा जमा करके मकानों का निर्माण कराने को तैयार हों ।

॥द॥ अथावा सहकारी आवास समितियाँ निर्मित आवास एवं विकास परिषद या विकास प्राधिकरण से क़य करने को तैयार हों ।

6- उक्त शासनादेश में निर्धारित शर्तों को जो-जो समितियाँ पूरी करेगीं उन्हे प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में भूखण्ड दिये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना में अब समितियों को आवन्तन हेतु भूखण्ड नहीं रह गये हैं अतः अलीगंज के विस्तार में सीतापुर रोड योजना जिसका अर्जन प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत हो चुका है उसमें भूखण्ड दिये जाने पर विचार किया जाना सम्भाव होगा ।

उक्त आख्या प्राधिकरण के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है ।

====:::0000:::====

संख्या: 110/37-2-41 आर0स0/71

प्रेषक:

श्री गिरीश चन्द्र अस्थाना,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा मे,

§1§ उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण,
प्रशासक, नगर महापालिका,
लखनऊ/कानपुर/आगरा/इलाहाबाद/वाराणसी ।

§2§ आवास आयुक्त
उत्तर प्रदेश ~~इलाहाबाद~~ आवास एवं विकास परिषद
104- महात्मागाँधी मार्ग, लखनऊ ।

निवास अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 6 मई, 1976

विषय:

भूमि अध्याप्ति एवं विकास योजनाओं के अन्तर्गत
विकसित प्लॉटों में से 25% प्लॉट सहकारी आवास
समितियों के लिये आरक्षित करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर हासिये में उल्लिखित शासनादेशों
की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने और यह कहने का निर्देश हुआ है कि

1- 5577 छ/37-41आ0स0/71, दिनांक 25-10-71,	§	भूमि अध्याप्ति
2- 1940/37-2-41आ0स0/71, दिनांक 29-5-1972		एवं विकास योज-
3- 2301/37-2-41आ0स0/71, दिनांक 16-9-75		नाओं के अन्तर्गत

विकसित प्लॉटों में से 25% प्लॉट केवल उन्ही सहकारी आवास समितियों
को आवंटित किये जायें जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करने को तैयार हों:-

§1§ सहकारी आवास समितियाँ जो उत्तर प्रदेश सहकारी
आवास सँघ से सम्बन्धित हों ।

§2§ सहकारी समितियाँ जो आवास सँघ के मकानों के निर्माणार्थ
ऋण लेने को तैयार हों ।

§3§

सहकारी आवास समितियाँ उत्तर प्रदेश आवास एवं
विकास परिषद या सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों
जिससे भी उनको भूमि आवंटित की गई हो, के पास
आवास सँघ से प्राप्त ऋण की धनराशि जमा करके
मकानों का निर्माण कराने को तैयार हों ।

§4§

अथवा सहकारी आवास समितियाँ निर्मित मकान आवास
एवं विकास परिषद या विकास प्राधिकरण से क्रय करने
को तैयार हों ।

भावदीय,

ह0/-

गिरीश चन्द्र अस्थाना
अनुसचिव

विषय: रायबरेली रोड पर कामधोनु नगर
बनाने हेतु भूमि का अर्जन ।
=x=x=x=x=

लखानऊ शहर के अर्न्तगत चल रहे पशुओं को नगर के बाहर
नियोजित कामधोनु नगरों में बसाने हेतु हरदोई रोड पर, कुर्सी रोड पर
तथा रायबरेली रोड पर योजनायें तैयार की गयी हैं ।

हरदोई रोड पर भूमि का अर्जन करने हेतु जिलाधिकारी ने
प्रस्ताव शासन को विज्ञापित जारी कराने हेतु दिनांक 29-1-81 को भोज
दिया है । कुर्सी रोड पर केटिल कालोनी बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया
जा चुका है ।

रायबरेली रोड पर ग्राम कल्ली पश्चिम की 235.21 एकड़ भूमि
जिसमें 92.48 एकड़ ग्राम समाज की भूमि सम्मिलित है । अर्जित कर काम-
धोनु नगर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है इसकी चौहद्दी निम्न
प्रकार है :-

पूरब -	राय बरेली रोड
पश्चिम -	सीमा ग्राम रसूलपुर इटूरिया ।
उत्तर -	सीमा ग्राम हेक्टर मऊ मवइया ।
दक्षिण -	खान: 1540 और से लेकर 1499-1586-1407-1408 1424-1425-1422-1420-1385-1384-1382-1381- 1380-1379-1376-1375-1374-1373-1372-1284 1285-1272-1271-1270-1203-1199-1196

उपरोक्त योजना हेतु निम्नलिखित बिन्दु लखानऊ विकास
प्राधिकरण के आदेशार्थ प्रस्तुत हैं:-

- 1- उक्त योजना का जिसका क्षेत्रफल 235.21 एकड़,
जिसमें 92.48 एकड़ ग्राम समाज की भूमि सम्मिलित
है, को भूमि अर्जन अधिनियम के अर्न्तगत अर्जित
करने की अनुमति ।
- 2- योजना का नाम " कामधोनु नगर रायबरेली रोड"
रखाने की अनुमति ।

=====:00000:====

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा
लखनऊ सीतापुर रोड एवं लखनऊ कानपुर रोड
पर आवासीय योजना हेतु 75-00 लाख
रुपये का ऋण शासन से पाने के लिये स्वीकृति
के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=x=x=

लखनऊ नगर की आवासीय समस्या को हल करने हेतु
लखनऊ सीतापुर रोड एवं लखनऊ कानपुर रोड पर आवासीय योजना
बनाने का प्रस्ताव है । इस योजना के अन्तर्गत भूमि अर्जित कर
भूखण्डों के विकास एवं भावनों हेतु विकास कार्य किया जायेगा ।

सीतापुर रोड पर प्रस्तावित क्षेत्रफल 1850.81 एकड़
तथा लखनऊ कानपुर रोड पर कुल क्षेत्रफल 3000 एकड़ है जिसमें से
क्रमशः 125 एकड़ लखनऊ सीतापुर रोड पर तथा 125 एकड़ लखनऊ
कानपुर रोड पर अर्जित कर विकसित करने का प्रस्ताव है । भूमि अर्जन
की लागत 1.65 लाख प्रति हेक्टेयर तथा भूमि विकास की लागत
3.65 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल 1037.42 लाख रुपये
की योजना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर प्रदेश को दिनांक
6-11-80 को भेजी गयी थी । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक उत्तर-
प्रदेश, लखनऊ ने इस वित्तीय वर्ष में 75-00 लाख रुपये लखनऊ
विकास प्राधिकरण को भूमि अर्जन एवं विकास कार्य हेतु अमुक्त करने
हेतु शासन को संस्तुति की है, इस सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव
प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है : " लखनऊ विकास प्राधिकरण
द्वारा लखनऊ सीतापुर रोड एवं लखनऊ कानपुर रोड पर आवासीय
योजना बनाने के लिये 1037-42 लाख रुपये की योजना जो मुख्य
नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गयी है उसके
अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 75-00 लाख रुपये का ऋण शासन
से पाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है "

====:::00000:::====

विषय: लेखा विभाग के पदों के सम्बन्ध में
शोड्युल आफ न्यु डिमान्ड ।
x=x=x=x=x=x

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 18-2-81 में विषय सं०:10 के अर्न्तगत विचारार्थ आख्या प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना के उपरान्त कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के फलस्वरूप लेखा अधिकारी का एक पद तथा लेखाकार का एक पद सृजित करने की आवश्यकता पड़ गई है । विचार विमर्श के उपरान्त प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि इस विषय को वित्तीय वर्ष 1981-82 के बजट के साथ शोड्युल आफ न्यु डिमान्ड के रूप में प्रस्तुत किया जाये और उसी समय इसकी स्वीकृति प्राप्त की जाये । तदनुसार विषय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अतः शोड्युल निम्नवत् है :-

पद का नाम	वेतनमान	पद सं०
लेखा अधिकारी	रु० 500-1150	1
लेखाकार	रु० 300-510	1

उपरोक्त पदों के सृजन का कारण
=====

यद्यपि विकास प्राधिकरण की गत बैठक में व्यापक टिप्पणी प्रस्तुत की जा चुकी है । परन्तु संक्षेप में स्थिति इस प्रकार है कि विकास प्राधिकरण की स्थापना के वर्ष १९७४-७५ में कुल व्यय रु० 112.18 लाख हुआ जिसमें अधिष्ठाता, व्याज एवं ऋण का प्रतिदान, भूमि अर्जन, विकास कार्य, भावनों का निर्माण, स्लम पर व्यय तथा विविध व्यय सम्मिलित हैं । यह समस्त व्यय विकास प्राधिकरण के लक्ष्यों के अनुसार बढ़ते चले गये और 1979-80 में बढ़कर उपरोक्त समस्त मदों पर व्यय रु० 608.13 लाख हुआ जो यह प्रदर्शित करता है कि वर्ष 1974-75 से 1979-80 तक लेखा विभाग के कार्यों में काफी वृद्धि हुई । कार्यों में वृद्धि का प्रभाव प्रत्येक रूप से लेखा विभाग के कार्यों में से लेखाओं को रखाने पर पड़ता है क्योंकि जितने ऋण तथा अनुदान आदि प्राप्त होते हैं उन समस्त का लेखा, ऋण के आगत के अनुसार बढ़ता चला जाता है । यहाँ पर यह भी कहना अनुपयुक्त न होगा कि विकास प्राधिकरण की स्थापना के पूर्व केवल राज्य सरकार के ही ऋणों का लेखा रखा जाता था जबकि इसकी स्थापना के उपरान्त संस्थागत ऋण एवं डिबेन्चर आदि प्राप्त कर उनका समुचित लेखा रखाना आवश्यक हो गया क्योंकि व्याज के भुगतान तथा ऋण के प्रतिदान के समय पर भुगतान के लिये, लेखो उचित प्रकार से रखाना आवश्यक हो जाता है । विकास प्राधिकरण की स्थापना के समय केवल 2 ही अभियन्त्रण छाण्ड थे परन्तु लक्ष्यों के बढ़ने के फलस्वरूप 5 अभियन्त्रण छाण्ड बन गये हैं और तदनुसार अभियन्त्रण छाण्ड में स्टाफ भी बढ़ गया है परन्तु लेखा-विभाग में महापालिका के विकास विभाग के स्वीकृति पद के अनुसार ही अब तक स्टाफ कार्यरत है ।

क्रमशः-----

समय की आवश्यकता को देखते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण में पी0डब्लू0डी0 लेखा प्रणाली भी वर्ष 1979-80 में लागू कर दी गई जिससे लेखा विभाग का स्टाफ जानकार नहीं था। इस प्रकार भी कार्य में वृद्धि हुई तथा एक नये प्रकार का कार्य लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रारम्भ हुआ। इसी प्रकार बजट का प्रारूप भी महापालिका प्रारूप से हटाकर, उ0प्र0आवास विकास परिषद के पटर्न पर बनाया गया जिसको मेन्टेन रखाने का प्रयत्न जारी है।

यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण का कार्य कानपुर विकास प्राधिकरण से कम नहीं है। कानपुर विकास प्राधिकरण में मुख्य लेखाधिकारी के अतिरिक्त एक लेखा अधिकारी, एक सहायक लेखा अधिकारी, 2 लेखाकार तथा 2 सहायक लेखाकार के पद स्वीकृत हैं जबकि लखनऊ विकास प्राधिकरण में मुख्य लेखाधिकारी के अतिरिक्त 2 सहायक लेखाधिकारी, 2 लेखाकार तथा एक सहायक लेखाकार के पद सृजित हैं। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में यह प्रस्ताव है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में उपरोक्त सहायक-लेखा अधिकारी के 2 पदों में से एक को अपग्रेड करके लेखा अधिकारी का एक पद सृजित कर दिया जाये। साथ ही उपरोक्त स्वीकृत लेखाकार के 2 पदों में से, जो केन्द्रीय सेवा के हैं, एक पद सरेन्डर कर दिया जाये जिसके लिये निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रस्ताव भोजने से पूर्व इस पद की समाप्ती की स्वीकृति प्राधिकरण से आपेक्षित है। यह भी प्रस्ताव है कि इसके स्थान पर लेखाकार का एक पद उपरोक्त वेतनक्रम में स्वीकृति प्रदान करने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

====:::00000:::====

विषय: सर्व श्री बाबू राम, बाल कृष्ण चतुर्वेदी,
भूतपूर्व सचिव, तथा उपाध्यक्ष, लखनऊ
विकास प्राधिकरण को कर्मचारी कोटे
से उच्च आय वर्गीय भवन आवन्तन ।

x=x=x=x=x

श्री बाबू राम, आई०ए०एस०, निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने, जो कि दिनांक 4-7-77 से 13-7-1978 तक, लखनऊ विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर कार्यरत थे, दिनांक 8-9-80 को प्रार्थना पत्र दिया है कि उन्हें प्राधिकरण द्वारा अलीगंज योजना में बनाये गये उच्च आय वर्गीय भवनों में से एक भवन आवन्तित किया जाये । उन्होंने उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14-5-80 के निर्णय संख्या-11 की प्रतिलिपि भी संलग्न की है, जो पताका "1" पर है । इस सम्बन्ध में श्री बाबू राम को पत्र संख्या: 848/पी०ए०, दिनांक जनवरी 20, 1981 द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें एव०आई०जी० भवन उसी समय आवन्तित किया जा सकता है जबकि वह पूर्ण धानराशि जमा करें और रजिस्ट्रेशन करा लें क्योंकि उच्च आय वर्गीय भवनों के आवन्तन के सम्बन्ध में यही नियम प्रचलित है । इसके उत्तर में श्री बाबू राम ने रु० 10,000/- ₹० दा हजार ₹ जमा किया और अनुरोध किया कि उन्हें तत्काल भवन संख्या: एव०आई०जी०-37 आवन्तित किया जाये । उन्हें सूचित कर दिया गया है कि अलीगंज योजना में भवन संख्या: एव०आई०जी०-37 उनके नाम आरक्षित किया जाता है, जिसके लिये उन्हें पूर्ण धानराशि जमा करना होगी और रजिस्ट्रेशन कराना होगा तभी यह आरक्षण आवन्तन माना जायेगा और भवन का कुब्जा दिया जायेगा ।

2- तत्पश्चात श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी, विशेष सचिव, वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने, जो कि दिनांक 30-12-1978 से 20-3-1980 तक प्राधिकरण में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत थे, दिनांक 11-2-1981 को प्रार्थनापत्र दिया कि उन्हें भी विकास प्राधिकरण, लखनऊ के एक भूतपूर्व कर्मचारी होने के नाते एव०आई०जी० भवन आवन्तित किया जाये ।

3- इस सम्बन्ध में प्राधिकरण को यह भी अग्रत कराना है कि विकास प्राधिकरण के गठन के पश्चात निम्न अधिकारी क्रमशः उपाध्यक्ष एवं सचिव के पद पर कार्यरत थे:-

- 1- श्री राजीव रत्न शाह, उपाध्यक्ष
- 2- श्री राम चन्द्र टकरु उपाध्यक्ष
- 3- श्री नरेन्द्र बिहारी लाल उपाध्यक्ष
- 4- श्री इन्दु प्रकाश ऐरन उपाध्यक्ष
- 5- श्री बाल कृष्ण चतुर्वेदी उपाध्यक्ष
- 6- श्री राधो कृष्ण गुप्ता उपाध्यक्ष

क्रमशः-----

7-	श्री सुरेन्द्र सिंह पाँगती,	उपाध्यक्षा
8-	श्री ए० पी० सिंह	उपाध्यक्षा
9-	श्री ए० के० रस्तोगी	उपाध्यक्षा
10-	श्री महेश चन्द्र	सचिव
11-	श्री राजीव कुमार सिंह	सचिव
12-	श्री रमेश नारायण त्रिवेदी	सचिव
13-	श्री बाबू राम	सचिव
14-	श्री सुरेन्द्र पाल गोड़	सचिव
15-	श्री ध्यान सिंह वर्मा	सचिव

इसके अतिरिक्त अब तक वर्ष 1974 से केन्द्रियत सेवा के कई अधिकारी भी प्राधिकाकरण में कार्यरत हैं जो कि उच्च-आय वर्गीय मकान आविन्त होने के पात्र हैं ।

इस सम्बन्ध में कतिपय अख़्तारों में तथा शासन स्तर पर भी शिकायतें की गयीं, अतः यह मामला प्राधिकाकरण के समक्ष इस आशय से रक्खा जा रहा है कि क्या श्री बाबू राम को उच्च आय वर्गीय भावन, जो आविन्त कर दिया गया है, पूर्ण भुगतान पर दिया जाये कि नहीं । दिनांक 14-5-80 की प्राधिकाकरण की बैठक के निर्णय पर भी विचार करना पड़ेगा क्योंकि यह एक नीति विषयक मामला है ।

====:::0000:::====

विषय सं 14

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शासन से ऋण प्राप्त करने हेतु स्वीकृति

आख्या: शासन को निम्न लिखित योजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में ऋण की मांग की जा रही है। जिसके लिए प्राथिकरण की स्वीकृति अपेक्षित है।

1- 400 ई०डब्ल्यू०एस० दो मेंजिले भावनों के निर्माण हेतु रु० 40.80 लाख का ऋण।

2- सुरज कुण्ड के विकास हेतु ऋण।

3- जमुना झील के विकास हेतु ऋण।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25-3-81
जो आयुक्त लखानऊ मण्डल के कार्यालय में पूर्वान्ह 10-30
बजे हुई, का कार्य-वृत्त ।

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

उपस्थिति:
=====

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1- | श्री पी०सी०सक्सेना | आयुक्त, लखानऊ मण्डल/अध्यक्ष,
लखानऊ विकास प्राधिकरण । |
| 2- | श्री बी०जे०छाओदायजी | आयुक्त, एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, आवास
एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश शासन,
लखानऊ । |
| 3- | श्री डी०बी०श्रीवास्तव | संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
वित्त विभाग, विधान भवन,
लखानऊ । |
| 4- | श्री ए० के० रस्तोगी | ज़िलाधिकारी, लखानऊ । |
| 5- | श्री जयन्ती प्रसाद दुबे | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखानऊ । |
| 6- | श्री टी०पी०वर्मा | अध्यापिका अभियन्ता एवं
व्यक्तिगत सहायक, मुख्य अभियन्ता
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखानऊ । |
| 7- | श्री सुजीत बनर्जी | उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास
प्राधिकरण, लखानऊ । |

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

अन्य उपस्थिति :
=====

- | | | |
|----|-----------------------------|---------------------------------|
| 1- | श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी | सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण |
| 2- | श्री के० पी० सिंह | वरिष्ठ नगर नियोजक, ल०वि०प्रा० |
| 3- | श्री एस०एन०पी०अग्रवाल | मुख्य अभियन्ता, ल० वि० प्रा० |
| 4- | श्री जे० पी० श्रीवास्तव | मुख्य लेखाधिकारी, ल०वि०प्रा० |
| 5- | श्री के० बी० सक्सेना | कास्ट एकाउन्टेन्ट, ल०वि०प्रा० । |

=x=x=x=x=x=x=x=x=x=

विषय संख्या: 1

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
18-2-1981 के कार्य-वृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव:

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
18-2-1981 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

विषय संख्या: 2

लखानऊ विकास प्राधिकरण का बजट
वर्ष 1981-82 ।

पारित प्रस्ताव:

वित्तीय वर्ष 1981-82 के बजट पर विस्तृत
रूप से विचार विमर्श किया गया तथा बजट
पारित करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये
गये :-

- 1- बजट वर्ष 1981-82 के लिये प्रस्तावित
4,669 भावनों के अतिरिक्त 600 आवासीय
भूखण्डों के विकसित करने का लक्ष्य
निर्धारित किया जाये ।

क्रमशः----- 2

- 2- जोनल प्लान शीट बनाये की कार्यवाही की जाये ।
- 3- हरदोई रोड पर भी एक व्यवसायिक केन्द्र बनाया जाना प्रस्तावित किया जाये ।
- 4- लखानऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय भावन हेतु स्थल चयन के लिये एक समिति गठित की जाये जो स्थल का चयन करके अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण की आगामी बैठक में अवश्य प्रस्तुत कर दे ।
- 5- लखानऊ नगर के विकास एवं सोन्दर्यीकरण के लिये अधिक से अधिक पार्कों का निर्माण एवं विकास किया जाये जिसमें निम्नलिखित स्थानों का विकास आवश्यक है:-
 - 1- सूरजकुण्ड
 - 2- नीबू वाला पार्क
 - 3- जमुनाक्षील
- 6- लखानऊ विकास प्राधिकरण की वेलेन्सशीट वर्ष 1974-75 से ही बनाई जाये क्योंकि मध्य के वर्षों से बनाने में आडिट करना सम्भाव नहीं होगा अतएव स्थापना के वर्ष से ही बनाना उपयुक्त होगा ।
- 7- बजट के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की मानेटरिंग करने के लिये एक समिति गठित की जाती है जिसके अध्यक्ष, अध्यक्ष लखानऊ विकास प्राधिकरण तथा उपाध्यक्ष एवं सचिव उसके सदस्य होंगे । यह समिति प्राधिकरण की बैठक से एक दिन पूर्व विस्तृत रूप से समीक्षा करके बैठक को स्थिति से अवगत कराती रहेगी ।

विषय संख्या: 3

नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

उपाध्यक्ष ने नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अलीगंज योजना के विद्यतीय चरण १ सेक्टर-2 में भूमि आवंटित किये जाने के बारे में प्राधिकरण की गत बैठक के निर्णय से विस्तृत रूप से अवगत कराते हुए शासन के मन्तव्य की विस्तृत रूप से जानकारी दी । विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

- 1- कपुरथाला बाग के अक्षोष भूखण्डों की दर नीलाम में आई दरों की अवस्त दर रु0 21.33 रखी जाये ।

- 2- नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यदि कपुरथाला बाग में ही भूमि चाहती है तो उसे ₹0 21.33 की दर भुगतान करना होगा तथा मुआवजे का पैसा वे स्वयं ले लेंगे । पूर्ण भुगतान करने पर कब्जा दिया जायेगा ।
- 3- यदि सोसाइटी सेक्टर-2 में भूखण्ड लेना चाहती है तो योजना की वर्तमान दरों पर भूखण्ड आवंटित किये जायें ।
- 4- समिति के समस्त 61 सदस्यों को समिति की कुल अर्जित भूमि का 25% भूमि उपलब्ध कराई जायेगी ।

विषय संख्या: 4
=====

पारित प्रस्ताव:
=====

"चेतना संस्था" को अलीगंज योजना में आवंटित भूमि की दरों से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।

उपाध्यक्ष ने अवगत कराया कि "चेतना संस्था" को अलीगंज योजना के सेक्टर "सी" में 50% मूल्य पर भूमि आवंटित की गई है परन्तु उक्त स्थान है कि विकलांगों के लिये पूरे प्रदेश में यही एक संस्था कार्य कर रही है अतः अन्य राज्यों की भांति यहाँ भी भूमि दिये जाने में विशेषा सुविधा प्रदान की जानी चाहिये । आवास सचिव ने सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में शासन के मत से अवगत कराया । जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी संस्थाओं की सहायता के लिये समाज कल्याण विभाग कार्य कर रहा है । शासन यदि सहायता करना चाहता है तो वह सहायता दे सकती है परन्तु प्राधिकरण की आर्थिक क्षमता का जिम्मेदार कौन होगा क्योंकि प्राधिकरण ने मूल्य में 50% छूट पहले से दे रखी है । अतः अब और छूट दिया जाना सम्भव नहीं है । सचिव, विकास प्राधिकरण ने बताया कि सामाजिक कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा विकलांगों की सहायता हेतु संस्थाओं को 90% तक भावन बनाने हेतु एवं 2.50 लाख तक सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है एवं यह वर्ष अन्तराष्ट्रीय विकलांग वर्ष मनाया जा रहा है अतः ऐसी संस्थाओं की मदद की जाये तो अच्छा है । त्रिवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के पूर्व निर्णय में कोई संशोधन करना प्राधिकरण के हित में नहीं है । अतः पूर्व निर्णय मान्य रहेगा ।

विषय संख्या: 5

कृषि उत्पादन एवं मन्डी समिति में नवीन गल्ला मण्डी विस्तार एवं फल तथा सब्जी मण्डी के निर्माण हेतु ग्राम सभा अहिबरनपुर एवं पुरनिया में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का मास्टर-प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

वरिष्ठ नगर नियोजक ने नगर के मध्य स्थापित सब्जी मण्डियों से उत्पन्न कठिनाई से अवगत कराया । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि मण्डी परिषद ऐसा करना चाहती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे जनता को काफी राहत होगी ।

विवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ग्राम अहिबरनपुर तथा ग्राम सभा पुरनिया में क्रमशः 29-71 एकड़ तथा 2.65 एकड़ भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

विषय संख्या: 6

कानपुर रोड का सर्वे (सेक्टर "डी") ले-आउट प्लान के सम्बन्ध में धानत्व में छूट देने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

वरिष्ठ नगर नियोजक ने बताया कि वर्ष 1980-81 के लिये निर्धारित कार्यक्रमों तथा उसमें निर्धारित आवास इकाई के कार्यक्रमों के अनुसार विकास करने पर तथा आई०एस०आई० के माप दण्ड को आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के लिये निश्चित की गई है जिसके कारण प्रस्तावित धानत्व 247 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर आता है । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसमें प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

वरिष्ठ नगर नियोजक ने पुनः बताया कि आई०एस०आई० में दुर्बल वर्ग आय वर्गों के रास्ते के लिये प्रस्तावित स्टैन्डर्ड के अनुसार किया गया है जिसकी भी स्वीकृति एल०डी०ए० द्वारा आपेक्षित है । विवारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

- 1- कानपुर रोड योजना के सेक्टर "डी" के लिये महायोजना में प्रस्तावित धानत्व में छूट प्रदान करने हेतु संस्तुति की जाती है ।
- 2- प्रस्तावित रास्ते के लिये आई०एस०आई० में दुर्बल आय वर्गों के लिये प्रस्तावित स्टैन्डर्ड के अनुसार छूट प्रदान करने की भी संस्तुति की जाती है ।

विषय संख्या: 7

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद कार्यालय भवन 104-महात्मागाँधी मार्ग का भू-उपयोग परिवर्तन करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने बताया कि मे इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूँ क्योंकि इससे स्थिति काफी गम्भीर होती जा रही है । उपाध्यक्ष ने बताया कि इसके अतिरिक्त अन्य कई कार्यालय भी उक्त क्षेत्र में खुले हुए हैं । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने बताया कि जो खुले हुए हैं वह ठीक नहीं हैं और ऐसी प्रथा को बढ़ावा देना भी उचित नहीं है । विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के वर्तमान भवन -104 महात्मागाँधी मार्ग के भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति दिया जाना सम्भव नहीं है ।

विषय संख्या: 8

शिवाजी मार्ग के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

वरिष्ठ नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बताया कि शिवाजी मार्ग के दोनों तरफ लग-भाग दूकानें बन गई हैं परन्तु वहाँ का भू-उपयोग आवासीय है । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि मेने इससे पूर्व ही शासन को अपने सुझाव से अवगत करा दिया है तथा उन्होंने अपने पत्र को पढ़कर समस्त सदस्यों को अपने विचारों से अवगत कराया ।

वरिष्ठ नगर नियोजक ने शासन के अशासक 2895/37-3/67 एन के वी/78, दिनांक 18-10-79 का विवरण देते हुए बताया कि उक्त पत्र द्वारा शासन ने निर्देशित किया है कि भू-उपयोग आवासीय से व्यावसायिक किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है । नियमानुसार महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग बदलने सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति में समय लगने की सम्भावना है । अतः शिवाजी मार्ग के दोनों ओर के भावन चित्र प्रस्तावित संशोधन को दृष्टिगत रखाते हुए निस्तारित किये जायें । मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने कहा कि जिनका एप्रोच सीधे शिवाजी मार्ग पर है उनका उपयोग बदलने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु जिनका एप्रोच पीछे या किसी गली द्वारा शिवाजी मार्ग पर है उनको अनुमति देना सम्भव नहीं है । अतः विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि शिवाजी मार्ग के दो ओर के भावनों के भू-तल भाग के

अग्रभाग को जो सीधे शिवाजी मार्ग पर ही खुलते हैं उन्हें व्यवसायिक उपयोग में जाने के लिये अनुमति दी जा सकती है इसके अतिरिक्त अन्य भाग को अनुमति देना सम्भव नहीं है। अतः प्राधिकरण के मत से शासन को अवगत करा दिया जाये तथा कोई भी व्यवसायिक उपयोग का भावन चित्र स्वीकृत न किया जाये।

विषय संख्या: 9

अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत आने वाली नूर सहकारी एवं अन्य समितियों को भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

विवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि उपलब्ध होने पर ही विचार किया जा सकता है।

विषय संख्या: 10

रायबरेली रोड पर कामधोनु नगर बनाने हेतु भूमि का अर्जन।

पारित प्रस्ताव:

विवारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1- उक्त योजना का जिसका क्षेत्रफल 235.21 एकड़ जिसमें 92.48 एकड़ ग्राम समाज की भूमि सम्मिलित है, को भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत अर्जित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- योजना का नाम "कामधोनु नगर रायबरेली रोड" रखाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विषय संख्या: 11

लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखानऊ सीतापुर रोड एवं लखानऊ कानपुर रोड पर आवासीय योजना हेतु रु075-00लाखा का ऋण शासन से पाने के लिये स्वीकृति के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखानऊ सीतापुर रोड एवं लखानऊ कानपुर रोड पर आवासीय योजना बनाने के लिये 1037.42 लाखा रुपये की योजना जो मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की गई है उसके अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 75-00 लाखा रुपये का ऋण शासन से पाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विषय संख्या: 12

लेखा विभाग के पदों के सम्बन्ध में शिश्युल आफ न्यू डिमान्ड का विषय।

पारित प्रस्ताव:

विवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केन्द्रियत सेवा के एक लेखाकार का पद प्राधिकरण, प्राधिकरण की सेवा का सृजित करना वाहता है जिसकी सहमति शासन से भी ले ली जाये। क्रमशः-7

विषय संख्या: 13

सर्व श्री बाबू राम, बाल कृष्ण चतुर्वेदी
भूतपूर्व सचिव, तथा उपाध्यक्ष, लखनऊ
विकास प्राधिकरण को कर्मचारी कोटे
से उच्च आय वर्गीय भवन आवंटन ।

पारित पृस्ताव:

सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन ने सूचित किया
कि विकास प्राधिकरण में नियुक्त अधिकारियों/
कर्मचारियों को भवन आवंटित करने के बारे में
नीति विषयक प्रक्रिया शासन बना रहा है ।
विवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि आवंटन
नियमावली बनाकर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत
की जाये उसके बाद इस विषय पर निर्णय लिया
जा सकेगा ।

विषय संख्या: 14

वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं के
अन्तर्गत शासन से ऋण प्राप्त करने हेतु स्वीकृति ।

पारित पृस्ताव:

विवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि
निम्नलिखित योजनाओं हेतु शासन से ऋण
प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 1- 400 ई0डब्लू0एस0 दो मजिले भवनों के
निर्माण हेतु रु0 40.80 लाख का ऋण ।
- 2- सूरजकुण्ड के विकास हेतु रु0 15.00 लाख
- 3- जमुनाझील के विकास हेतु रु0 23.00 लाख
का ऋण ।

ह0 शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी
॥ शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी ॥
सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

अ नु मो दि त
= = = = =

ह0 प्रकाश चन्द्र सक्सेना
॥ प्रकाश चन्द्र सक्सेना ॥
आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
ल ख न ऊ ।